

**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिग्गल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।
अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017
भाग-एक**

- 1 अंकेक्षण अवधि के दौरान संस्थान में निम्न प्रधानाचार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे:-

नाम	कार्यकाल
Eललित कुमार	11/02/2010 से 15/10/2015
Eचमन लाल	16/10/2015 से 16/06/2016
Eश्याम नन्द	17/06/2016 से लगातार

भाग-दो

- 2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिग्गल, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के छात्र निधियों अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 तक का यह प्रथम अंकेक्षण था जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं जिसे श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 07/12, 07/13, 07/14, 07/15 तथा 08/16 एवं व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 03/13, 10/13, 06/14, 10/15 तथा 06/16 के लेखाओं का चयन किया गया।

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, रिकार्ड एवं सूचनाओं के आधार पर किया गया। किसी प्रकार की अधूरी/अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 का कोई दायित्व नहीं होगा।

- 3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिग्गल के अंकेक्षण अवधि 1.4.12 से 31.3.17 का अंकेक्षण शुल्क ₹11000 आंका गया है जिसे अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 120 दिनांक 21/11/17 द्वारा प्रधानाचार्य महोदय से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया था।

- 4 **वित्तीय स्थिति :-**

(i) संस्थान के लेखों की अवधि 1.4.12 से 31.3.17 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है जिसका सम्पूर्ण विवरण यथा परिशिष्ट क में दिया गया है

वर्ष	आरम्भिक शेष	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
------	-------------	--------	-------------	----------	---------------

2012-13	77678.00	121038.00	198716.00	133321.00	65395.00
2013-14	65395.00	235907.00	301302.00	206576.00	94726.00
2014-15	94726.00	585632.00	680358.00	325469.00	354889.00
2015-16	354889.00	357218.00	712107.00	340900.00	371207.00
2016-17	371207.00	516426.00	887633.00	717655.00	169978.00

दिनांक 31/03/17 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष 169978.00--- (1)

दिनांक 31/03/17 को बैंक खाते के अनुसार शेष 169978.00----- (2)

5 अकुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान की अधिकतर धन राशि बचत खातों में निवेशित थी। यदि इस राशि को समय-2 पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाता तो इससे संस्थान को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्थान की अधिकतम राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सके।

6 रोकड़ बही के रख रखाव में त्रुटियाँ :-

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में कटिंग्स तथा ओवर-राइटिंग की गई थी तथा इन कटिंग्स/ओवर राइटिंग्स को सक्षम अधिकारी से भी सत्यापित नहीं करवाया गया था। इस अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण निम्नानुसार है। अतः सम्बन्धित प्रविष्टियों को DDO आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापित करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	तिथि
52	02/15
62 से 63	08 तथा 09/15

(ii) इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि SWF से सम्बन्धित रोकड़ बही में IMC (Institute management committee) के अंतर्गत प्राप्तिओं तथा भुगतानों को भी दर्ज किया गया था। जबकि SWF की रोकड़ बही में केवल SWF से सम्बन्धित प्राप्तिओं तथा भुगतानों को दर्ज किया जाना ही अपेक्षित था। अतः भविष्य में केवल IMC (Institute management committee) के अंतर्गत प्राप्तिओं तथा भुगतानों को IMC की रोकड़ बही में ही दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

आय :-

7 प्रवेश शुल्क के सरकारी कोष में जमा से सम्बन्धित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान प्रवेश शुल्क की निम्नलिखित राशियों के सरकारी कोष में जमा से सम्बन्धित चालान अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए। जिस कारण सरकारी कोष में इन राशियों की जमा की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

वर्ष	निधि संग्रह रजिस्टर की पृष्ठ संख्यां	प्रवेश शुल्क
2012-13	5	2800/-
2013-14	11 से 12	3800/- (3200+200+400)
2014-15	17	3600/-
2015-16	21 से 23	3000/- (1000+200+1400+400)
2016-17	33	1600/-

8 सरकारी कोष में जमा फीस का मिलान न करना:-

संस्थान द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क आदि से प्राप्त राशियों को विभिन्न चालानों द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाया जाता है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा समय 2-पर जमा करवाई गई इन राशियों का सम्बन्धित कोष कार्यालय से जमा सम्बन्धी विवरणी प्राप्त करके मिलान नहीं किया गया जा रहा है । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 भविष्य में सरकारी कोष में जमा करवाए गये शुल्कों का मिलान सम्बन्धित कोष कार्यालय से जमा सम्बन्धी विवरण प्राप्त करके नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 Sports kit दिए जाने से सम्बन्धित मानदंड तथा निर्धारित मूल्य सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित छात्राओं को sports kit ₹275 की दर से प्रदान की थी परन्तु kit प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंड तथा मूल्य जिन मानदंडों को पूर्ण करने पर ₹275 में यह kit छात्राओं को प्रदान की जानी थी वे नहीं दर्शाए गए । इस कारण निम्न छात्राएं इस kit को प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तें पूर्ण करती थी तथा उन्हें यह kit निर्धारित मूल्य पर प्रदान की गई थी इन तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए ।

रसीद संख्यां	दिनांक	छात्रा का नाम	राशि
86	06/07/13	पूनम देवी	275/-
87	06/07/13	दीक्षा देवी	275/
88	06/07/13	लता देवी	275/
89	06/07/13	प्रियंका देवी	275/
90	06/07/13	पुष्पा देवी	275/
91	06/07/13	चम्पा देवी	275/

10 छात्र कल्याण निधि में से ट्रेनरस के वेतन / honorarium के रूप में ₹1.39 लाख का अनियमित व्यय:-

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि संस्थान ने निम्नलिखित प्रकरणों में ट्रेनरस के वेतन / honorarium के रूप में ₹138671 छात्र कल्याण निधि से भुगतान किया गया जोकि छात्र

कल्याण निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस राशि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके छात्र कल्याण निधि में जमा करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	ट्रेनर का नाम	राशि (₹)
03/13	18	श्री हरी सिंह (चपड़ासी)	5200/-
		श्री नरेश कुमार (part time सफाई कर्मचारी)	1672/-
10/13	31	श्री हरी सिंह (चपड़ासी)	5200/-
		श्री नरेश कुमार (सफाई कर्मचारी)	1824/-
		श्रीमती सुदर्शना देवी	14100/-
		श्री हरी सिंह (चपड़ासी)	5200/-
		श्री नरेश कुमार (सफाई कर्मचारी)	1748/-
		श्रीमती सुदर्शना देवी	14100/-
06/14	40	श्री हरी सिंह (चपड़ासी)	10400/-
		श्री नरेश कुमार (सफाई कर्मचारी)	2604/-
		श्रीमती सुदर्शना देवी	25850/-
10/15	67	श्री हरी सिंह (चपड़ासी)	6200/-
		श्री नरेश कुमार (सफाई कर्मचारी)	2300/-
		श्रीमती सुदर्शना देवी	14100/-
06/16	83	श्री हरी सिंह (चपड़ासी)	6200/-
		श्री नरेश कुमार (सफाई कर्मचारी)	1656/-
		श्रीमती सुदर्शना देवी	12281/-
		श्रीमती रेखा	8036/-
		कुल योग	138671/-

11 अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित कर्मचारियों की नियुक्तियों तथा उनके वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख आग्रह करने के बावजूद जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इनकी नियुक्तियों तथा वेतन निर्धारण से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पद	वेतन
श्री हरी सिंह	Peon	₹5200/- मासिक जोकि वर्ष 03/15 में ₹6200/- मासिक हो गया।
श्री नरेश कुमार	Part time सफाई कर्मचारी.	Part time कर्मचारी को समय -2 पर प्रति घंटे की निर्धारित दर के अनुसार देय (दिन में अधिकतम चार घंटें)।
श्रीमती सुदर्शना देवी	Trainer	14100/- मासिक

12 वेतन के रूप में ₹677 का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वेतन के रूप में ₹677 [माह 10/15 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां 67), वाउचर 22600/-] का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹677 की वसूली उपयुक्त स्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

नाम / पद माह सितम्बर/15 (30 उपस्थिति अभिलेख के अधिक भुगतान दिनों) हेतु किया गये अनुसार 29 दिनों की वेतन का भुगतान उपस्थिति हेतु जितना भुगतान बनता था।

सुदर्शना देवी / ट्रेनर	14100/-	13630/-	470/-
हरी सिंह / चपड़ासी	6200/-	5993/-	207/-
कुल योग			677/-

13 अग्रिम समायोजन में पाई गई अनियमितताएँ

संस्थान द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम राशियों के समायोजन की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) माह 03/13 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां 18), अग्रिम ₹7920 :-

श्री गौरव भंडारी (ट्रेनर फीटर) को छात्राओं की जिला खेल कूद प्रतियोगिता में भागीदारी के दौरान आने वाले खर्च को वहन करने हेतु अग्रिम राशि प्रदान की गई थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी इस प्रतियोगिता में आये व्यय का विवरण तथा समायोजन से सम्बन्धी वाउचर आवश्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अग्रिम राशि के समायोजन से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) माह 03/13 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां 18), अग्रिम ₹20000 :-

श्री शिवालिक वर्मा (ट्रेनर) को जिला खेल कूद प्रतियोगिता में छात्रों के भाग लेने के दौरान आने वाले खर्च को वहन करने हेतु अग्रिम राशि प्रदान की गई थी। इस अग्रिम राशि के समायोजन वाउचर्स की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) समायोजन खाते के साथ उपरोक्त वाउचरों की मूल प्रतियों के स्थान पर छाया प्रतियाँ संलग्न की गई थी। अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी वाउचर्स की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

(ii) अग्रिम राशि के समायोजन खाते / वाउचरों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था जिस कारण प्रतियोगिता पर आये ₹18940 (20000-1060) के व्यय को सही नहीं माना जा सकता है।

(iii) समायोजन वाउचर के साथ संलग्न विवरण के अनुसार इस प्रतियोगिता में 23 छात्रों तथा 21 छात्राओं ने हिस्सा लिया था, परन्तु प्रतियोगिता के दौरान जिन छात्र तथा छात्राओं ने भाग लिया था वे IMC के अंतर्गत आने वाले छात्र/छात्राएं प्रतीत होते हैं क्योंकि वर्ष 2012-13 के दौरान संस्थान में सरकारी सीटों पर कोई भी छात्र अध्ययनरत नहीं था केवल छात्राएं ही अध्ययनरत थीं। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राएं IMC के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी या सरकारी सीटों पर इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि इस बारे में तो कोई जानकारी उपलब्ध करवाई गई न ही समायोजन वाउचर के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं की सूची संलग्न थी। उपरोक्त कारणों से प्रतियोगिता पर किया गया ₹18940 (20000-1060) का व्यय IMC से सम्बन्धित छात्र एवं छात्राओं पर किया गया व्यय प्रतीत होता है जोकि SWF निधि पर उचित प्रभार नहीं है। यह राशि SWF निधि में वापिस जमा करवाई जानी चाहिए थी परन्तु इस बारे में अंकेक्षण के दौरान कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(iv) अग्रिम राशि हेतु दिनांक 19/03/13 को चेक जारी किया गया था। वाउचर्स के अनुसार अग्रिम राशि का प्रयोग 21/03/13 से 23/03/13 तक किया गया था। अग्रिम राशि में से ₹1060 शेष बची थी जिसे दिनांक 17/04/13 को विलम्ब से जमा करवाया गया था जोकि अनुचित है।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 इनके बारे में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) माह 10/15 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां 69), अग्रिम ₹17000 :-

श्री शिवालिक वर्मा (ट्रेनर) को जिला खेल कूद प्रतियोगिता में छात्रों के भाग लेने के दौरान आने वाले खर्च को वहन करने हेतु अग्रिम राशि प्रदान की गई थी। प्रतियोगिता के दौरान किये गए व्यय की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) अग्रिम राशि प्रदान करते समय सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी क्योंकि वाउचर पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे।

(ii) अग्रिम राशि दिनांक 26 से 27/10/15 तक नालागढ़ में आयोजित जिला खेल कूद प्रतियोगिता, में हिस्सा लेने हेतु प्रदान की गई थी। जबकि अग्रिम राशि दिए जाने से सम्बन्धित बिल दिनांक 29/10/15 का था जिस तिथि को प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। प्रतियोगिता के समाप्त होने के पश्चात अग्रिम राशि दिए जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया।

(iii) प्रतियोगिता पर किया गया व्यय ₹16320 (17000-680) का IMC की छात्राओं के लिए गया प्रतीत होता है जोकि SWF निधि पर उचित प्रभार नहीं है। क्योंकि समायोजन वाउचर के साथ संलग्न सूची के अनुसार जिन 23 छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उन छात्राओं के नाम सरकारी सीटों पर अध्ययनरत छात्राओं के नामों से मेल नहीं खाते थे इस कारण यह व्यय IMC खाते से किया जाना चाहिए था न कि SWF निधि से तथा साथ ही यह राशि SWF निधि में वापिस जमा करवाई जानी चाहिए थी। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iv) प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्राओं से सम्बन्धित सूची में 23 छात्राओं के नाम दर्ज थे। जिसके अनुसार केवल 23 छात्राओं की player fee जमा करवाई जानी अपेक्षित थी, परन्तु रसीद संख्या 103 दिनांक 26/10/15 के अनुसार 25 छात्रों की player fee ₹3750/- (25x150/-) का भुगतान किया गया फलस्वरूप ₹300 player fee [3750(25x150/-)-3450(23x 150/-)] के रूप में अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनुचित है।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(घ) माह 10/15 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां 69) , अग्रिम ₹14000 :-

श्री शिवालिक वर्मा को (ट्रेनर) जिला खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रों के भाग लेने के दौरान आने वाले खर्च को वहन करने हेतु अग्रिम राशि प्रदान की गई थी। प्रतियोगिता के दौरान किये गए व्यय की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(i) समायोजन वाउचर के अनुसार प्रतियोगिता पर ₹13970 (14000-30) का व्यय IMC के 28 छात्रों के लिए गया था जोकि SWF निधि पर उचित प्रभार नहीं है। इस कारण यह व्यय IMC खाते से किया जाना चाहिए था न कि SWF निधि से साथ ही यह राशि SWF निधि में वापिस जमा करवाई जानी चाहिए थी। अंकेक्षण के दौरान इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई जिसे अब स्पष्ट किया जाए।

(ii) अग्रिम राशि दिनांक 27 से 28/10/15 तक नालागढ़ में आयोजित जिला खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रदान की गई थी। जबकि अग्रिम राशि दिए जाने से सम्बन्धित बिल दिनांक 29/10/15 का था जिस तिथि को प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। प्रतियोगिता के समाप्त होने के पश्चात अग्रिम राशि दिए जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) संस्थान द्वारा अग्रिम रजिस्टर का रख रखाव भी नहीं किया जा रहा था जिस कारण विभिन्न उद्देश्यों हेतु जारी की गई अग्रिम राशियों तथा उनके समायोजन सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में अग्रिम रजिस्टर का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 स्टोर/स्टाक के रख रखाव सम्बन्धी अनियमितताएं :-

(i) Inventory Register का रख रखाव न करना :-

विभिन्न रजिस्ट्रों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा Inventory Register का रख रखाव नहीं किया जा रहा था जिस कारण संस्थान में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्ट्रों बारे स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी। अतः Inventory Register का रख रखाव किया जाए तथा संस्थान के सभी रोकड़ बहियों, स्टोर / स्टोक रजिस्ट्रों तथा अन्य विविध रजिस्ट्रों को Inventory Register में दर्ज कर के तथा उन पर Inventory no. लिख कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन (physical verification) न करवाए जाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान लिखित तथा मौखिक रूप से स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। जिसके अभाव से न तो स्टोर स्टॉक/में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारण (disposal) किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ 2-इस विषय में कृत अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(iii) इसके अतिरिक्त स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में वस्तुओं की प्रविष्टियाँ मदवार (headwise) नहीं की जा रही थी जिस कारण स्टोर/स्टॉक रजिस्टर विभिन्न वस्तुओं के शेषों की सही स्थिति स्पष्ट नहीं करता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 विविध :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का अलग से रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीद बुक के क्रय उनके उपयोग तथा शेषों की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रसीद बुक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(11)(4)127/96 खण्ड-1-2225-2226 दिनांक 29.03.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- | | | |
|---------|---|--|
| पंजीकृत | 1 | निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर हि०प्र० |
| | 2 | प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिग्गल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। |

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881